




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी श्योलाराम पुत्र रामुराम जाति कुमावत निवासी श्रवणपुरा	ब ना म	प्रतिवादीगण कुनणाराम पुत्र रामुराम कुमावत वगैरह श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी
राजस्व वाद = दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 R.T.Act 1955		
वाद-पत्र नम्बर 159 /2022		GCMS No.2022/ 343
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
19.10.2022	वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 R.T.Act 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.11.2022 को पेश हो।	
 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)		
18/11/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकाब/अबकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 30/11/2022 को पेश हो।		
30/11/2022 वकील वादी उपर उतिवारी 2, 4, 5, 6 की अन्तरे हेम 2, 4, 5, 6 की अन्तरे हेम 2, 4, 5, 6 की अन्तरे हेम 2, 4, 5, 6 की अन्तरे हेम 2, 4, 5, 6 की अन्तरे हेम 2, 4, 5, 6 की अन्तरे हेम 2, 4, 5, 6 की अन्तरे हेम		
 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)		
6/12/2022 वकील वादी 16 वादी उपर 572/2022-23 572/2022-23 का अन्तरे हेम 572/2022-23 का अन्तरे हेम 572/2022-23 का अन्तरे हेम 572/2022-23 का अन्तरे हेम 572/2022-23 का अन्तरे हेम 572/2022-23 का अन्तरे हेम		
 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)		

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

Handwritten notes and signatures on the right margin.

